Announcements made in the Budget for 2011-12

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Remarks
3	विकास की यात्रा में भी हमने, श्री राजीव गांधी द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिखाये गये निर्णायक मार्ग का अनुसरण करते हुए, पाँच विभागों के बजट, कार्य और कार्मिक **(Funds, Functions and Functionaries)** पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये हैं। संविधान के 73वें संशोधन की भावनाओं के अनुरूप अन्य विभागों को भी पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जनता का सशक्तीकरण ही हमारी सरकार का उद्देश्य है।	73व सावधान सशाधन आधानयम क तहत 2 अक्टूबर, 2010 को 5 ावभागा क बजट, काय एव कामक पचायता राज संस्थाआ का हस्तान्तारत ाकय गय ह। पचायता राज सस्थाओं का अन्य ावभागा क कायकलापा के हस्तान्तरण के प्रस्तावा पर गाठत तान सदस्याय मत्रागण सामात द्वारा ावचार ाकया जाकर समय समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत ाकय जावग।	प्रगातरत
6	एक और खास बात जो बजट के बारे में कही जा सकती है, वह यह है कि, पाँच विभागों से संबंधित शक्तियों के हस्तांतरण के उपरांत राशियों का आवंटन भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन बजट मद में ही दिखाया गया है। यह प्रक्रिया योजना और गैर–योजना दोनों प्रावधानों के लिए अपनाई गई है। इसके पीछे मंशा यह है कि यह हस्तांतरण स्पष्ट और निर्णायक हो। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं को निर्बंध राशि **(untied fund)** उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि ये संस्थायें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।	हस्तान्तारत 5 ावभागा क बजट का कायकलापा एव आधकाारया / कमचाारया क वतन भुगतान क ालय सम्बान्धत ावभागाय लखा शाषा क अन्तगत पचायता राज सस्थाओं क ालय ानधाारत लघु शाष 196, 197 एवं 198 के अधीन कर 1.4.2011 स प्रावधान कर ादया गया ह। ानबन्ध राश का 777.54 करोड. क सम्बन्ध म राज्य ावत्त आयाग का अतारम ारपाट प्राप्त हान क ादनाक 9.9.11 का ादशा ानदश जारा कर ादय गय ह। आयाग का अतारम ारपाट क अनुसरण म प्रावाधत राश का 90 प्रातशत राश पंचायती राज सस्थाआ क ताना स्तरा पर ावतरण हतु प्रशासानक एव ावत्ताय स्वाकात जारा कर राश रूपय 699.78 करोड ाजला का आवाटत कर दा गइ ह। शष 10 प्रातशत राश पचायता राज सस्थाआ द्वारा ानजा आय बढान पर प्रात्साहन क रूप म अलग स आवाटत करन हतु आराक्षत रखा हुइ ह।	ाक्रयान्वत

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Time frame of implementation	Remarks
91	केन्द्र सरकार द्वारा **PESA (Panchayats - Extension to the Scheduled Areas) Act 1996** के माध्यम से जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा **PESA Act** को, वर्ष 1999 में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन किया जायेगा तथा **PESA** नियम बनाकर, **PESA Act** के प्रावधानों के अनुसार जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे। इस क्रम में माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस–जैसे तेंदू पत्ता, गोंद, शहद आदि से प्राप्त होने वाली राशि को अनुसूचित क्षेत्रा की पंचायतों को हस्तांतरित किया जायेगा।	PESA नियम क प्रारूप का माननाय मत्रा महादय द्वारा अनुमादन उपरान्त विधिक विभाग द्वारा विधिक्षा कर दी गई है। राज्य जनजाति सलाहकार समिति (Tribal Area Council) से अनुमोदन पश्चात माननाय मुख्यमत्रा महादय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वीकृति स दिनाक 1.11.11 को PESA नियमा का अधिसूचित किया जा चुका है।		क्रियान्वित
107	**'प्रशासन गाँवों के संग अभियान'** के दौरान ग्राम पंचायतों की चरागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या सामने आई थी। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिक्रमण पंचायत राज संस्थाओं को विश्वास में लेकर हटाये जायेंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त भूमि पर चरागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं **(Water Harvesting Structures)** का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जायेंगे, ताकि भूमि की सुरक्षा के साथ–साथ पशुधन के लिए चारा उपलब्ध हो सके।	राजस्थान पचायता राज नियम 1996 क नियम 165 के अन्तगत पचायता राज संस्थाओ द्वारा चरागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि स अतिक्रमण हटाय जान बाबत दिनाक 24.3.2011 का निदश जारी कर दिय गय ह। अतिक्रमणमुक्त भूमि पर चरागाह विकास हतु वर्षा जल सरक्षण सरचनाओ का निमाण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदिवारिया क काय महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वार्षिक काय योजना म सम्मिलित करवात हुए निस्पादित करवाय जान क निदश दिनाक 26.03.2011 का जारी कर दिय गय ह।		क्रियान्वित

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Time frame	Remarks
109	पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, जिला परिषद स्तर पर मुख्य विधि सहायक के 33 नवीन पद, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत प्रसार अधिकारी के 182 अतिरिक्त पद, कनिष्ट लिपिकों के 309 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 209 पद सृजित किये जायेंगे। इन पदों के सृजन से, लंबे समय से नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा कर रहे, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति मिल सकेगी।	ाजला पारषद स्तर पर मुख्य ावाध सहायक क 33 नवीन पद, पचायत सामात स्तर पर पचायत प्रसार आधकारा क 182 आतारक्त पद, कानष्ट ालपका क 309 पद तथा चतुथ श्रणा कमचाारया क 209 नवान पदा क सृजन क आदश ादनाक 28.4.2011का जारा कर ादय गय ह। 33 मुख्य ावाध सहायक क नव सृाजत पदा पर पदस्थापन करन हतु ावाध ावभाग का सूाचत कर ादया ह। पचायत प्रसार आधकारा क नवसृाजत पदा पर पदस्थापन ग्राम सवका का पदान्नात स ाकया जावगा। कानष्ट ालपक तथा चतुथ श्रणा कमचाारया क पद पर ाजला पारषदा द्वारा पंचायता राज सस्थाआ म लम्ब समय स ानयुाक्त हतु प्रताक्षा कर रह मृतक कमचाारया क आाश्रता म स 178 कानष्ट ालपक तथा 123 चतुथ श्रणा कमचाारया क पद पर अनुकम्पा ानयुाक्त द दा गइ ह।		क्रियान्वित
	इसके साथ ही पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंताओं के 121 रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे।	ावभागाय स्तर पर कानष्ट आभयन्ताआ का भता हतु राजस्थान ग्रामाण ावकास एव पचायता राज राज्य सवा आधनस्थ सवा ानयम 1998 म संशोधन कर पचायत सामातया म 121 ारक्त कानष्ट आभयन्ताआ क पदा पर भता के क्रम म आवदन पत्र आन लाइन प्राप्त ाकय जा चुक ह ाजनका पराक्षा ादनाक 18.3.12 को आयोजित की जा चुकी ह। पराक्षा उपरात सफल अभ्यााथया का प्राप्त मराट सूचा क आधार पर ानयमानुसार भता का कायवाहा का जायगा।		प्र[illegible]
	इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों के 703 पदों पर चयन किया जाकर, जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है।	ग्राम सवका का भता हतु पराक्षा आयााजत कर पारणाम जारा ाकय जा चुक [illegible] 703 पदा पर चयानत अभ्यााथया का ारक्त [illegible] रूद्ध ाजला पारषद [illegible]		[illegible]

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Time frame	Remarks
110	जिला परिषद, बारां एवं प्रतापगढ़ हेतु नये कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।	□□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□□ □□□ हेतु नये कायालय भ वन का नमा ण काय कु ल 564.87 लाख रूपय का लागत स कायकारा एजन्सा सावजानक निमाण वभा ग से करवाये जाने है। कायकारा एजन्सा सावजानक निमाण विभाग क प्रस्ताव अनुसार इस वष 2011-12 म सशाधित स्वाकृत राशि रूपय 100.57 लाख का जारा कर दा गइ ह। सावजानक निमाण विभाग द्वारा उ त भवन के नमा ण ह ेतु टे डर या व कायादश जारा किय जा चुक है। दोनो भवन का निमाण काय ा रं भ हो गया है।	□□□□	

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Time frame	Remarks
111	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न करों का हिस्सा, पंचायती राज संस्थाओं को दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2011—12 में, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत देय 575 करोड़ 84 लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को 1 हजार 491 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।	र यवत आयाग चतुथ न आतम प्रातवदन प्रस्तुत कर दय , जस य सरकार न सामात का सिफारशा पर वष 2010-11 2011-12 क लिए सहमात प्रदान कर दा ह। अतारम रिपाट प्राप्त क फलस्वप **राज्य वित्त आयाग चतुथ क** तहत वित्ताय वष 2010-11 क राश 411.60 करोड . पंचायती राज सं था आ का अतारत का जा चुका ह तथा वित्ताय वष 2011-12 क लिए प्रावधित राशि 450.00 करोड . म से 150.00 करोड . वित्त विभाग का सहमात स प्रथम किश्त केप म पंचायती राज सं था ओं क्रा अतारत करन का स्वाकृ त जारा का जा चुका ह। निबन्ध राशि का 777.54 करोड . केस ब ध म राज्य व त आयाग का अतारम रिपाट प्राप्त होने के दनांक 9.9.11 का दिशा निदश जारा कर दिय गय ह। आयाग का अतारम रिपाट क अनुसरण म प्रावधित राशि का 90 प्रतिशत राश पंचायती राज संथा आ क ताना स्तरा पर वितरण हतु प्रशासनिक एव वित्ताय वीकात जारा कर राशि रूपय 699.78 कराड जिला का आवाटत कर दा गइ है शेष 10 प्रतिशत राश पंचायती राज सं था आ द्वारा निजा आय बढान पर प्रात्साहन केप म अलग स आवाटत करन हतु आरक्षित रखा हुइ ह। योजना तगत उ त प्रावधाना क आतारक्त वित्त विभाग द्वारा 25.00 कराड का राशि का आतारक्त प्रावधान किया गया ह जिसम स 17.47 कराड का राशि सम्बान्धत जिला का आवाटत कर दा गइ ह। पंचायती राज सं था ओं कोव ती य रूप स सुदढ किय जान क सम्ब ध म राज्य व त आयोग चतुथ का सिफारश अनुसार क्षतिपूति तथा समानुदशन क रूप म 263.61 करोड का वित्ताय वधन है , व ती य आबकार वभाग , राज व विभाग एव वित्त कर वभा ग वारा कया जाना ह विभागीय पी डी खाते म हस्तांतरत 15000.00 लाख विभागीय प्रशासनिक एव वित्ताय वी कत सं. 5965-80 दनांक 10.2.12 वारा पंचायती राज संथा ओंको ह तां ारत कर दा गइ है		क्रियान्वित

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Time frame	Remarks
11 1	समिति की सिफारिश के अनुसार, जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को, पूर्व वर्ष से अधिक, कर राजस्व अर्जित करने की स्थिति में, प्रोत्साहन के रूप में, अतिरिक्त राशि दी जायेगी।	आधक कर राजस्व आजत करन वाला पंचायती राज सं था ओं को ोसा हत करन क लय एक प्रात्सा□□ □□□ □□□ □ □ □□□ □□ □ □ □ आयोग चतुथ को तु त कया गया था। राज्य व त आयाग चतुथ द्वारा अतारम प्रातवदन म सफारश प्रस्तुत क है □□ □ □ □□ □□ □ सरकार न नबन्ध राश का 10 तशत राश इस याजनान्तगत पंचायती राज संथा आ दन पर सहमात प्रदान कर दा ह। वभाग द्वारा इस सबध म ोसा हन योजना तैयार कर ल गई है । □□□□ दशानदश दनाक 30.11.2011 का जला का जारा कर दय गय ह		क्रयान्वत

112	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों के कारण उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वर्ष, सभी पंचायत समितियों के प्रधानगणों के उपयोग हेतु, एक वाहन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर 12 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्चा होगा।	इस संबंध म सभा पचायत सामात क प्रधानगणा क उपयाग हतु एक डाजल वाहन डी जी एस . ए ड डी द्वारा अनुमादत दरा पर क्रय करन क लए वत्त वभाग का आइ. डी सं या 101101172 दनांक 7.4.11 द्वारा दा गइ सहमात क अनुसरण म वभागाय आदश क्रमाक 1349 दन क 11.4.2011 के द्वारा स्वाकृत द न □□ □ गई है		क्रयान्वत

Announcements on 15-03-11 in CMs Reply to the Budget Debate for 2011-12

S. No	Announcements made	Action to be taken for implementation of Announcements	Time frame	Remarks
1	मैंने बजट में सभी प्रधानगणों हेतु वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। जिला प्रमुखों से भी ऐसी ही मांग आ रही है। अतः आगामी वर्ष में जिला परिषदों को भी एक–एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।	इस संबंध म □□□□ □□□□ के जला प्रमुखा क उपयोग हेतु एक वाहन डी जी एस . ए ड डी द्वारा अनुमादत दरा पर क्रय करन क लए वत्त वभाग क आई . डी सं या 10111378 दनांक 2.5.2011 के वारा दा गइ सहमात क अनुसरण म वभागाय आदश क्रमाक 1567-81 दनांक 5.5.2011 के वारा वीकृात प्रदान कर दा गइ ह।		क्रयान्वत

बजट सत्र 2010–11 में पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट

पैरा	बजट भाषण की घोषणा	क्रियान्विति	Status
106	तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने [illegible] राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी की है, [illegible] परफॉरमेंस आधारित होगा। वित्त आयोग ने इसके मानदंड निर्धारित [illegible], [illegible] **पंचायती राज संस्थाओं में आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक सुधार किये जायेंगे।**	[illegible] 13वें केन्द्रीय वित्त [illegible] - निर्देशानुसार निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए 9 [illegible] निर्धारित किये गये [illegible] 6 [illegible] उनकी अनुपालना विभाग द्वारा पत्रांक 1306 [illegible] 31.3.11 द्वारा विशेषाधिकारी, वित्त [illegible] **पंचायती राज संस्थाओं में आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक सुधार कर दिये गये हैं जिसकी सूचना** वित्त [illegible] 25.5.11 [illegible] 2011-12 [illegible] 370.10 [illegible] 2011-12 में प्रथम किस्त की राशि 226.89 [illegible] 78.83 करोड़ रूपये परफॉरमेन्स ग्रांट की राशि पंचायती राज संस्था[illegible]	क्रियान्वित
111	[illegible] प्रसन्नता होगी कि सभी **ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की पात्रता के अनुसार आबादी पट्टे प्रदान करने के लिए विस्तृत सर्वे करने एवं आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार** करने के निर्देश जारी [illegible] सभी पात्र परिवारों को आबादी पट्टे प्रदान करने की योजना है।	[illegible] ग्राम पंचायतों में आबादी पट्टे प्रदान किये जाने की व्य[illegible] सुनिश्चित करने की क्रियान्विति के क्रम में सर्वे कार्यवाही एवं आबादी विस्तार हेतु प्रस्ता[illegible] करने के निर्देश जारी कर [illegible] विभाग द्वारा आबादी पट्टे प्रदान करने हेतु आवश्य[illegible] कार्यवाही प्राथमि[illegible] की नि[illegible] [illegible] क्रम में भूमि आवंटन उपरान्त [illegible] आशार्थियों को पट्टा वितरण [illegible] कार्यवाही 10 [illegible] 2010 [illegible] 31 दिसम्ब[illegible] 2010 तक आयोजित प्रशासन गांवों [illegible] 2010 [illegible], 435022 [illegible]	क्रियान्वित
112-0	राज्य में **''राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा''** का गठन पूर्व वर्षों में किया गया था। इस सेवा के 150 विकास अधिकारी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।	[illegible] ग्रामीण विकास राज्य [illegible] 2007-08 [illegible] 75 [illegible] 23.12.10 [illegible] 2008-09 [illegible] 73 [illegible] 11.08.2011 [illegible] परीविक्षाधीन अधिकारियों नियुक्ति दी [illegible]	क्रियान्वित
112-1	आगामी वर्ष में भी 74 अतिरिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।	[illegible] 2009-10 [illegible] 74 पदों पर विभाग द्वारा परीविक्षाधीन अधिकारियों को दिनांक 21.12.2011 को नियुक्ति दी गई [illegible]	क्रियान्वित

पैरा	बजट भाषण की घोषणा	क्रियान्विति	Status
112-2	इसके अतिरिक्त राज्य में ''**राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा**'' का गठन करना प्रस्तावित है।	राजस्थान ग्रामाण आभयात्रिका सवा नियम 2012 [illegible] प्रारूप [illegible] /वित्त [illegible], [illegible] द्वारा अनुमादित [illegible], हिन्दी[illegible] का सहमात प्राप्त [illegible] /[illegible] प्रारूप [illegible]0 [illegible], [illegible] प्रारू[illegible] कायवाहा हतु प्राषत किया जावगा।	प्रक्रियाधिन **क्रियान्वात ग्रामाण विकास विभाग द्वारा का जा रहा ह।**
116	माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि गाँवों का विकास भी शहरों की भांति सुनियोजित तरीके से होना चाहिये। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गाँवों में भी, भू–उपयोग का विस्तृत प्लान बनाया जाना चाहिये। गाँवों के मास्टर प्लान में विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, राजकीय भवन, सरकारी आवास, खेल के मैदान, डेयरी, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाज़ार एवं ग्रीन बैल्ट इत्यादि का प्रावधान होना आवश्यक है, ताकि गाँवों का भविष्य में संतुलित विकास हो सके। इस सोच के साथ राज्य के समस्त गाँवों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर–प्लान बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।	नगर नियाजन विभाग द्वारा आवास विकास लिमिटड क माध्य[illegible] 10,000 [illegible] ([illegible] 2001) [illegible] 81 ग्रामा क विलज प्ला[illegible] जिनका प्रगति निम्ना[illegible]:- · 48 विलज प्लान का आन्तिम चरण का काय पूण कर [illegible] का प्रारूप कन्स[illegible] द्वारा सबाधित जानल नगर नियाजक का प्रस्तुत [illegible] दिया गया ह। जिसम स 14 [illegible] 5 [illegible] विलज प्लान ग्राम पचायत द्वारा अनुमादित कर दिय गय [illegible] • 26 विलज प्लान का द्वितीय चरण का काय पूण कर यथा [illegible]-उपयाग एव माका निराक्षण क पश्चा[illegible] प्रस्तुत का जा चुका ह। • 2 [illegible] न का द्वितीय चरण म बसमप एव वत[illegible]:-[illegible] माका निराक्षण क पश्चा[illegible] आयाजित का जा चुका ह। • 5 [illegible] न का द्वितीय चरण म बसग[illegible], [illegible] एव माका निराक्षण का काय पूण कर लिया गया ह। **द्वितीय चरण म ग्राम पचायत मुख्यालया क 10000 स कम जनसख्या वाल सभा ग्रामा का ग्राम तुगा पचायत सामाति बस्सा जिला जयपुर के माडल मास्टर प्लान का तज पर मास्टर प्लान तैयार करन हतु विस्तृत दिशानिदश परिपत्र दिनाक 29.6.11 एवं 12.7.11 द्वारा जारी कर दिय गये है।** **मास्टर प्लान तैयार करने हेतु 13वे वित्त आयाग का सिफारिशा क अनुसार दय अनुदान स राशि व्यय करन क सम्बन्ध म भा निदश जारी कर दिय गय [illegible]**	क्रियान्वित
1 (311)	**जिला प्रमुखों की यात्राओं के दिवसों** को 120 से बढाकर 240 दिवस प्रति वर्ष किया जा रहा है। प्रधानो के लिये यात्राओं के दिवस 60 दिन से बढाकर एक वर्ष में 120 दिन किये जा रहे है।	**विभागीय आदेश कमांक 1251 दिनांक 12.4.2010 द्वारा जिला प्रमुखों की यात्राओं के दिवसों** को 120 से बढाकर 240 दिवस तथा प्रधानो के लिये यात्राओं के दिवस 60 दिन से बढाकर 120 दिन प्रति वर्ष किये जाने के आदेश जारी किया जा चुके है।	क्रियान्वित
2 (312)	वर्ष 2010–11 में 11 नई **पंचायत समितियों के भवनों** का निर्माण करवाया जाएगा जिस पर 5.50 करोड रूपये की लागत आएगी।	[illegible] 11 [illegible] सामातया [illegible] पचायत सामाति का छाडकर शष भवन निर्माण हतु 5.15 कराड का राशि सम्बन्धित जिला म आवटित कर दा गइ ह। [illegible] सामातया हतु प्रस्तावित भवन का नक्शा, [illegible] 8 पचायत सामातया क भवन निर्माण काय प्रगतिरत ह।	क्रियान्वित

बजट सत्र 2009–10 में पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट

पैरा	बजट भाषण की घोषणा	क्रियान्विति	Status
115	शहरो के मास्टर प्लान की तर्ज पर गावों की भूमि का भी सर्वोतम उपयोग करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।	नगर नियाजन विभाग द्वारा आवास विकास लिमटड क माध्यम से 10,000 से अधक (जनसं या वष 2001) जनसं या वाले कुल 81 ग्रामा केवलेज ला न तैयार कयेजा रहेह । जिनका प्रगात निम्नानुसार है ➢ 48 विलज प्लान का आन्तम चरण का काय पूण कर विलज प्लान का प्रारूप कन्सलटे ट द्वारा सबाधत जानल नगर नियाजक का प्रस्तुत कर दया गया है [illegible] 14 गांव का वलेज ला न [illegible] 5 गाव क विलज प्लान ाम पंचायत वा रा अनुमोदत कर दये गये है । 26 वलेज ला न का द्वितीय चरण का काय पूण कर यथा वतमान भू उपयाग एव माका निराक्षण क पश्चात टेक हो डस क बैठक आयाजित कर रिपाट जानल नगर नियाजक का प्रस्तुत का जा चुका हे ➢ 2 वलेज ला न का द्वितीय चरण म बसमप एव वतमान भू उपयोग माका निराक्षण क पश्चात टेक हो ड स का बठक आयाजित का जा चुक हे । ➢ 5 वलेज ला न का द्वितीय चरण म बसमप, वतमान भू उपयोग एव माका निराक्षण का काय पूण कर लिया गया है **द्वितीय चरण म ग्राम पचायत मुख्यालया क 10000 स कम जनसख्या वाल सभा ग्रामा का ग्राम तुगा पचायत सामात बस्सा जिला जयपुर के माडल मास्टर प्लान का तरज पर मास्टर प्लान तयार करन हतु विस्तत दिशानिदश पारपत्र दिनाक 29.6.11 एवं 12.7.11 द्वारा जारा कर दिय गये है।** **मास्टर प्लान तैयार करने हेतु 13व वित्त आयाग का सिफारिशा क अनुसार दय अनुदान स राशि व्यय करन क सम्बन्ध म भा निदश जारा कर दिय गय** है।	क्रियान्वित
116	वर्तमान में जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंचों के क्रमशः 4 हजार रूपये, 2 हजार 600 रूपये एवं 600 रूपये के मानदेय को बढाकर क्रमशः 5 हजार 100 रूपये, 3 हजार 100 रूपये एवं 1 हजार रूपये किया जावेगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बैठक भत्ते की वर्तमान दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जावेगी।	घोषणा के अनुसार **जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंचों के** मानदेय एवं **पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों** के बैठक भत्तों में वृद्धि के आदेश विभागीय पत्र क्रमांक 6439 दिनांक 1.9.09 के द्वारा जारी किये जा चुके है।	क्रियान्वित
118	पंचायती राज संस्थाओं को भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों, के पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।	पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों का मंत्रीमण्डल की बैठक में दिनांक 3.8.09 को अनुमोदन हो चुका है। जिला कलेक्टर्स से सुझावों एवं ऐतराजों प्राप्त अनुशंषा के आधार पर पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 10 व 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय पत्रांक 2996 दिनांक 28.10.09 के द्वारा 10 नई पंचायत समितियों के नवसृजन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।	क्रियान्वित